न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
401/2021	04.03.2021	5/6/2025

वीरेन्द्र मीना पुत्र शिवजीलाल, मीना निवासी नयागांव तह0 वजीरपुर —वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर —प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :— श्री शिवचरण शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0न0 42 रकबा 0.63 है0 ग्राम नयागांव तह0 वजीरपुर मे स्थित है। वादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का इस भूमि से काई सम्बन्ध नही है। भूमि ख0न0 42 रकबा 0.63 है0 वादी की अव्यस्कता के दौरान वादी के पिता/संरक्षक श्री शिवजीलाल मीना द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी। उस समय वादी की आयु मात्र तीन वर्ष थी। वादी के पिता ने विक्रय पत्र मे वादी का लाड प्यार का घरेलू नाम राहुल कुमार मीना दर्ज करवा दिया था तथा उसके पश्चात विद्यालय प्रवेश के समय वीरेन्द्र मीना दर्ज करवा दिया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे वदी का नाम नाबालिग राहुल कुमार मीना संरक्षक शिवजीलाल चला आ रहा है तथा अन्य सभी दस्तावेजों मे वीरेन्द्र मीना नाम दर्ज है। उक्त दोनो नाम वादी के ही है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम राहुल कुमार मीना एवं अन्य शैक्षिक दस्तावेजों मे वीरेन्द्र कुमार दर्ज होने के कारण वादी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। वर्तमान मे वादी व्यस्क हो चुका है तथा राजस्व रिकार्ड मे वादी का सही नाम वीरेन्द्र मीना दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा वादी के नाम के आगे से नाबालिग शब्द भी हजफ किया जाना आवश्यक है। वादी ने अपना सही एवं संशोधित नाम राहुल कुमार के स्थान पर वीरेन्द्र मीना नाम संशोधित करने एवं नाबालिग शब्द हटाने के लिए प्रतिवादी से निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र उनके समक्ष दिनांक 11.02.2021 प्रस्तुत किया परन्तु उन्होने राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादी को भूमि ख0न0 42 रकबा 0.63 है0 ग्राम नयागांव का खातेदार घोषित किया जाकार नाबालिग राहुल कुमार मीना के स्थान पर वीरेन्द्र मीना संशोधित नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें।

Scanned with OKEN Scanner

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2075 से 2078 खाता संख्या 154, ग्राम नयागांव, फोटोकॉपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.05.95, नकल नामान्तकरण संख्या 80 ग्राम नयागांव, फोटोकॉपी वीरेन्द्र मीना, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा 2006, फोटोकॉपी आधार कार्ड वीरेन्द्र मीना, फोटोकॉपी पहचान पत्र वीरेन्द्र,फोटोकॉपी बैंक पासबुक वीरेन्द्र मीना, फोटोकॉपी जाति प्रमाण पत्र वीरेन्द्र मीना, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शिवाला प्रस्तुत किए हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रकरण मे तहसीलदार वजीरपुर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि नयागांव की जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 154 किता 1 रकबा 0.63 है0 मे प्रार्थी का नाम नाबालिग राहुल कुमार पुत्र शिवजीलाल संरक्षक सरपरस्त पिता शिवजीलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा.ग्राम खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का नाम समस्त सरकारी कागजात यथा आधार कार्ड, अंकतालिका, बैंक पासबुक आदि मे वीरेन्द्र मीना पुत्र शिवजीलाल मीना दर्ज है जो सही है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे सहवन से वीरेन्द्र के स्थान पर राहुल कुमार दर्ज हो गया है। पूर्व मे उक्त भूमि कमल, रामचरण, रमेश, भरतलाल पि0 जगन्या जाति मीना निवासी नयागांव के नाम दर्ज थी। जरिए विक्रय पत्र दिनांक 29.05.95 उक्त भूमि का विक्रय खातेदारों द्वारा राहुल कुमार पुत्र शिवजीलाल, मीना निवासी नयागांव उम्र 5 वर्ष संरक्षक पिता स्वयं शिवजीलाल पुत्र मूलचंद के पक्ष मे किया गया। जिसका अमल नामा. 80 स्वीकृत दिनांक 08.08.95 द्वारा जमाबंदी मे हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजात के अनुसार प्रार्थी की जन्मतिथी 09.07.92 अंकित है वर्तमान मे प्रार्थी की उम्र 32 वर्ष से अधिक हो चुकी है। राहुल कुमार एवं वीरेन्द्र मीना एक ही व्यक्ति है। राहुल कुमार पुत्र शिवजीलाल नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम नयागांव मे नही है। प्रार्थी का सही नाम वीरेन्द्र मीना पुत्र शिवजीलाल मीना है। अतः खाता संख्या 154 मे प्रार्थी का नाम राहुल कमार के बजाय वीरेन्द्र मीना किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का वाद डिक्री करते वादी का नाम राहुल कुमार के स्थान पर वीरेन्द्र कुमार पुत्र शिवजीलाल मीना करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2075 से 2078 के अनुसार भूमि

ख0नं0 42 रकबा 0.63 है0 नाबालिग राहुल कुमार पुत्र शिवजीलाल संरक्षक सरपरस्त पिता शिवजीलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा.ग्राम खातेदार की खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 29.05.95 के अनुसार वादी के पिता शिवजीलाल द्वारा यह भूमि कमल, रामचरण, रमेश, भरतलाल पुत्र जगन्या द्वारा राहुल कुमार पुत्र शिवजीलाल, मीना निवासी नयागांव उम्र 5 वर्ष संरक्षक पिता स्वयं शिवजीलाल पुत्र मूलचंद के पक्ष मे विक्रय किया गया है तथा इसी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे वादी का नाम नाबालिग राहुल कुमार पुत्र शिवजीलाल संरक्षक सरपरस्त पिता शिवजीलाल हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा.ग्राम खातेदार दर्ज किया गया है। वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ प्रस्तुत अंकतालिका, आधारकार्ड, राशनकार्ड मे वादी का नाम वीरेन्द्र कुमार अंकित है तथा तहसीलदार वजीरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे भी तहसीलदार वजीरपुर द्वारा खाता संख्या 154 मे वादी का नाम राहुल कमार के बजाय वीरेन्द्र मीना शुद्ध करने का निवेदन किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत कक्षा दसवीं की अंकतालिका मे अंकित जन्मतिथि 09.07.1992 के आधार पर वादी की उम्र 33 वर्ष हो गई है एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम राहुल कुमार के स्थान पर वीरेन्द्र मीना दर्ज करने की अनुशंषा की गई है। फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर जमांबदी संवत 2075—78 ग्राम नयागांव खाता संख्या 154 भूमि ख0नं0 42 रकबा 0.63 है0 मे दर्ज नाबालिग शब्द हजफ किये जाने का एवं वादी का नाम राहुल कुमार के स्थान पर वीरेन्द्र मीना शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/6/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
(स.मा.)

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकद्दमे इब्तादाई | Judi/Civil
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) | Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

वीरेन्द्र मीना पुत्र शिवजीलाल, मीना निवासी नयागांव तह0 वजीरपुर —वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर —प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. —401/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिवचरण शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर जमांबदी संवत 2075—78 ग्राम नयागांव खाता संख्या 154 भूमि ख0नं0 42 रकबा 0.63 है0 मे दर्ज नाबालिग शब्द हजफ किये जाने का एवं वादी का नाम राहुल कुमार के स्थान पर वीरेन्द्र मीना शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/6/2025 को जारी किया गया।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर (स0मा0)
वजीरपुर

कार्यालय—उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला ... (स0मा0) वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर (स0मा0)
वजीरपुर

Scanned with OKEN Scanner